-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2012 में थाना गिरवां क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाली अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 10 हजार 500 रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2012 में थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत पुरानी रंजिश को लेकर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाली अभियुक्ता को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 01.11.2012 को थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहेरी में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर पर थाना गिरवां में मु0अ0सं0 194/12 धारा 302/34/120बी/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अनिल कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 27.01.2013 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्ता को मा0 न्यायालय ADJ-IV बांदा द्वारा आजीवन कारावास 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्ता-

1. चुनुवा पत्नी शिवपाल निवासी बहेरी थाना गिरवां जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी

विवेचक
उ0नि0 श्री अनिल कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 निशा पटेल

पैरोकार
मु0आ0 रहीश कुमार